कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

विज्ञप्ति

जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर में संविदात्मक आधार पर अंशकालिक सफाईकर्मियों के कुल 02 अस्थायी पद (रू 6000/– मासिक नियम मानदेय) पर चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

चयन हेतु निर्धारित अर्हताऐं व शर्ते माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिकारिक वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in एवं जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर की आधिकारिक वेबसाईट http://districts.ecourts.gov.in/bulandshahar पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त नियुक्ति से सम्बन्धित अन्य विवरण न्यायालय के सूचना पट्ट/ केन्द्रीय नजारत से किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त की जा सकती है।

2-11-22

(यादवेन्द्र सिंह–I)
अध्यक्ष, चयन समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष संख्या–2, बुलन्दशहर।

कार्यालय चयन समिति, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर।
जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर में संविदा के आधार पर अंशकालिक सफाईकर्मियों के पद पर नियुक्ति हेतु सामान्य निर्देश

1. सफाईकर्मी के उक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदक को देवनागरी लिपि में हिन्दी के शब्दों में लिखने व पढ़ने का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से जूनियर हाईस्कूल या उ.प्र. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना।
2. सफाई कार्य में दक्ष होना आवश्यक है।
3. आवेदक की आयु–31.10.2022 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।
4. समस्त शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि, जाति प्रमाण पत्र, दक्षता / अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियॉ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
5. इच्छुक व्यक्तियों द्वारा अपने निवास क्षेत्र के दो संभ्रान्त व्यक्तियों द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण–पत्र प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
6. चयन हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
7. अभ्यर्थी दिनांक–19.11.2022 दिन शनिवार को अपने सम्पूर्ण मूल अभिलेख एवं प्रार्थना–पत्र केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर में जमा करेगा तथा आवदेक दिनॉक–28.11.2022 को प्रातः 10:00 बजे जनपद न्यायालय परिसर में उपस्थित होगा।
8. किसी भी तरह की सिफारिश अयोग्यता मानी जायेगी, जिसके आधार पर आवेदक की उम्मीदवारी सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जायेगी।
9. अभ्यर्थी का चरित्र नियुक्ति अधिकारी की सन्तुष्टि के अधीन उत्तम होना चाहिए। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उसे विधि द्वारा स्थापित न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अधमता के अपराध हेतु दण्डित नहीं किया गया है।
10. नियुक्त अभ्यर्थियों को मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा जारी स्वास्थ्यता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर नियुक्ति की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना आवश्यक है।
11. साक्षात्कार हेतु उपस्थित व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नियुक्त अंशकालिक सफाईकर्मियों को नियमित सेवा का कोई अधिकार नहीं होगा।
13. नियुक्त सफाईकर्मियों को प्रतिमाह मु0–6,000/–रूपये मानदेय के रूप में प्रदान किया जायेगा, जिस पर कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
14. अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र तीन माह के लिए जारी होगा। तीन माह उपरान्त इनके कार्य आचरण की समीक्षा के उपरान्त इनकी सेवाओं को बढ़ाया जा सकता है।
15. नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना एवं बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

2.11.22	2.11.22	2-11-22
(रेनू मिश्रा)	(दानिश हसनैन)	(यादवेन्द्र सिंह)
सदस्य चयन समिति /	सदस्य चयन समिति /	अध्यक्ष चयन समिति /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(त्व0न्या0)न्याय कक्ष सॅख्या–04,	(त्व0न्या0) न्याय कक्ष सॅख्या–02,	न्याय कक्ष सॅख्या–02
बुलन्दशहर।	बुलन्दशहर।	बुलन्दशहर।